कार्यालय जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, रेवाड़ी ।

आदेश क्रमांक : ~~मु0शि0/76~~ 2841/2k1 /मान्यता: 9103-04 दिनांक : 29/11/2k

श्री बाला जी प्रा० पा० शाला - चाँदपुर --- जिला रेवाड़ी को शिक्षा संहिता के चेपटर नं0 7 की धारा 217 के अन्तर्गत पहली से पांचवी कक्षा तक स्थाई मान्यता दिनांक 1-4-2000 से निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है :-

1- रिर्जव फण्ड स्टाफ के छः मास के वेतन के बराबर की राशी बैंक/डाकखाने में जमा कराकर जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, रेवाड़ी के नाम पहले प्लज करवायेगा ।

2- अपने स्कूल की प्रबन्धक कमेटी शिक्षा विभाग से अनुमोदित करवायेगा ।

3- अपने स्कूल स्टाफ का सी॰पी॰एफ॰ के खाते खुलवाकर जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, रेवाड़ी के नाम प्लज करवायेगा ।

4- स्टाफ को वेतन द्वारा चैक द्वारा दिया जायेगा ।

5- स्कूल में स्टाफ ट्रेण्ड अध्यापकों को रोजगार विभाग के माध्यम से लगायेगा अन्ट्रेन्ड प्रार्थी उपलब्ध न होने पर एन॰ए॰सी॰ लेकर समाचार-पत्रों में विज्ञापन देकर नियुक्ति को इस कार्यालय द्वारा अनुमोदित करवायेगा तथा साक्षात्कार के समय इस कार्यालय का प्रतिनिधि अवश्य साक्षात्कार कमेटी का सदस्य शामिल किया जायेगा अन्यथा साक्षात्कार मान्य नहीं होगा ।

स्टाफ नही लगाया जावे अगर रोजगार कार्यालय में ट्रैण्ड

6- किसी भी अध्यापक/कर्मचारी को इस कार्यालय की अनुमति बिना नही हटायेगा।

7- पांचवी कक्षा की परीक्षा स्वंय लेने का अधिकारी नही होगा विभाग की हिदायतो अनुसार परीक्षा दिलानी होगी ।

8- विद्यार्थियो से फीस तथा फण्ड विभागीय निर्धारित दरों से लेनी होगी तथा रसीद देनी होगी ।

9- इस मान्यता के आधार पर किसी प्रकार की अनुदान/वित्तीय सहायता राशी की मांग विभाग से नही की जायेगी । तथा नोर्म के अनुसार विद्यार्थियो को सभी सुविधाये अपने स्तर पर तथा अपने खर्च पर ही उपलब्ध करायेगा ।

10- स्कूल का रिकार्ड शिक्षा संहिता की धारा 222 के अनुसार बनाया जायेगा ।

11- सभी विद्यार्थियो के लिए फर्नीचर इत्यादि के लिए इन्तजाम करेगा ।

12- हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड/हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा अनुमोदित पुस्तके ही विद्यालय में लगाई जायेगी ।

13- नोर्म अनुसार भवन का कवर्ड एरिया बढ़ाया जायेगा ।

14- नियुक्ति के समय आरक्षण नीति का ध्यान रखा जाये । उपरोक्त सभी शर्ते छः मास के अन्दर-अन्दर पूर्ण की जाये अन्यथा यह मान्यता वापीस ले ली जायेगी ।

15. [illegible] CWP No. 7839/15 [illegible] के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना करेगी।

जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी
रेवाड़ी

पृ0क्रमांक :- सम दिनांक

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है।

1- निदेशक, सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा, चण्डीगढ ।
2- निदेशक, प्राथमिक शिक्षा हरियाणा, चण्डीगढ ।
3- उपमण्डल शिक्षा अधिकारी रेवाड़ी तथा कोसली ।
4- खण्ड शिक्षा अधिकारी, जिला रेवाड़ी
5- मुख्याध्यापक/प्रबन्धक कमेटी

जिला प्राथमिक शिक्षा अधि॰

President
Shree Balaji Education Society
Dahni Chandpur , Rewari

Principal
Shree Balaji Public Sr. Sec. School
Dhani Chandpur (Rewari)

Asha Kumari
Digitally signed by Asha Kumari
Date: 2022.04.18 17:30:46 +05'30'

Asha Kumari
Digitally signed by Asha Kumari
Date: 2022.04.18 17:31:38 +05'30'